उ०प्र० परिवहन निगम
आपका अपना साथी

# उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष:पी.बी.एक्स. 2622363, 2627111
फैक्स:0522-2615526, 2628841, 26235786

## वातानुकूलित स्लीपर अनुबन्धित बसों के अनुबन्ध हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

**Corrigendum Regarding AC Sleeper Bus Scheme 2016**

| क्र.सं. | वर्तमान शर्त | प्रस्तावित संशोधित शर्त |
|---|---|---|
| तकनीकी प्रपत्र–संलग्न 'अ' बिन्दु सं. 6 | वातानुकूलित स्लीपर बस योजना 2016 के अर्न्तगत निगम में न्यूनतम 06 वातानुकूलित स्लीपर बसों का प्रस्ताव देना आवश्यक होगा तथा शत् प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करने के लिये स्पेयर वातानुकूलित स्लीपर बस उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। स्पेयर वातानुकूलित स्लीपर बस 02 वर्ष पुरानी भी हो सकती है। | वातानुकूलित स्लीपर बस योजना 2016 के अर्न्तगत निगम में 15 बसें अथवा उससे अधिक बसें उपलब्ध कराने वाले वाहन स्वामी को शत् प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करने के लिये 01 स्पेयर वातानुकूलित स्लीपर बस उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।<br>निर्धारित न्यूनतम 06 से 14 बसें उपलब्ध कराने वाले वाहन स्वामी को स्पेयर वातानुकूलित स्लीपर बस उपलब्ध कराना अनिवार्य नही होगा, किन्तु बस के संचालन में स्थगन की दशा में क्षति वसूली के रूप में निर्धारित दर से कटौती की जायेगी। |
| नियम व शर्तें बिन्दु सं. 8 | वातानुकूलित स्लीपर अनुबन्धित बस योजना–2016 में टेण्डर जमा करने के साथ बस स्वामी को रू. 70,000/– प्रति बस की दर से प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा करानी होगी। निगम द्वारा अनुबन्धित बस की अनुमति प्रदान करने पर बस स्वामी को निर्धारित समय के अन्दर अनुबन्ध हेतु बस उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित समय सीमा 90 दिन एवं विलम्ब शुल्क रू. 15,000/– के साथ 30 अतिरिक्त दिन के अन्दर बस उपलब्ध न कराने की दशा में प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा कराई गई धनराशि रू. 70,000/– ज़ब्त कर ली जायेगी।<br>विशेष स्थिति में प्रबन्ध निदेशक के स्तर से अधिकतम एक माह तक अतिरिक्त रू. 15,000/– विलम्ब शुल्क जमा कराते हुये बस उपलब्ध कराने की समय सीमा में विस्तार किया जा सकता है। | वातानुकूलित स्लीपर अनुबन्धित बस योजना–2016 में टेण्डर जमा करने के साथ बस स्वामी को रू. 70,000/– प्रति बस की दर से प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा करानी होगी। निगम द्वारा अनुबन्धित बस की अनुमति प्रदान करने पर बस स्वामी को निर्धारित समय 100 दिन के अन्दर अनुबन्ध हेतु बस उपलब्ध करानी होगी।<br>निर्धारित समय सीमा 100 दिन के पश्चात् विलम्ब शुल्क रू. 15,000/– अतिरिक्त 15 दिन हेतु तत्पश्चात् अतिरिक्त 15 दिन हेतु विलम्ब शुल्क रू. 15,000/– जमा कराने पर भी बस उपलब्ध न कराने की दशा में प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा कराई गई धनराशि रू. 70,000/– ज़ब्त कर ली जायेगी।<br>विशेष स्थिति में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक के स्तर से अधिकतम एक माह तक अतिरिक्त रू. 30,000/– विलम्ब शुल्क जमा कराते हुये बस उपलब्ध कराने की समय सीमा में विस्तार किया जा सकता है |

अतः समस्त निविदादाता उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

HSG 30/12

(एच.एस.गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (वाणिज्य)



Downloaded from www.upsrtc.com